

तिथि १४ मई, २००६ को एक्सप्रीटर एवम ठेकेदारों के मध्य हुई मीटिंग के अनुसार ठेकेदारों की वचनबद्धता ।

- १ फुटबाल सिलाई करने वाले ठेकेदार एक्सप्रीटर को लिस्ट पदान करेगे, जिसमें में साफ उन सारे सिलाई करने वालों के स्थानों का ब्योग दिया जाएगा (दोनो रजि,और बिना रजि) । जहा पर फुटबाल की सिलाई की जाती है । इस लिस्ट में उपरोक्त हरेक सिलाई करने वाले की उमर और लिंग का ब्योग दिया जाएगा ।एक्सप्रीटर इस लिस्ट की नकल एस.जी. एफ.आई. को देंगे और एक नकल ठेकेदार के पास रहेगी । जो एस.जी.एफ.आई. और एक्सप्रीटर को उनकी माँग पर दिखानी होगी ।
- २ फुटबाल सिलाई कराने वाले ठेकेदार अपने कर्मचारियों की लिस्ट मे कोई भी तबदीली करते है तो वह एक्सप्रीटर को सात दिनों के भीतर सूचित करें ।
- ३ फुटबाल सिलाई कराने वाले ठेकेदार यह यकीन दिलाएंगे कि फुटबाल सिलाई के दौरान कोई बच्चा कर्मचारी चौदह साल से कम उमर का सीधे याँ असीधे नहीं लिया जाएगा ।यह पकिया बाल मजदूरी लेने के केस मे होगी ।यदि कोई बच्चा इसमें शामिल पाया जाता है,तो फैक्टरी,ठेकेदार, किसी छोटा ठेकेदार और सिलाई करने वाले बच्चे के परिवार से एस.जी.एफ.आई. के आफिस में परामर्श किया जाएगा और बाल मजदूरी कराने वाले को पहली तथा अंतिम चेतावनी दी जाएगी । यदि यह केस दुबारा होता है तो सिलाई करने वाले स्थान पर रोक लगाते हुए आगे से काम नहीं मिलेगा । यह शर्त दोनों रजि. और अनरजि. स्थानों पर लागू होगी ।

- ४ अगर एस.जी.एफ.आई. के इस्पेक्टर या एक्सप्रीट की फैक्टरी के इस्पेक्टर वह स्थान देखना चाहे तो ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

ठेकेदार के नाम व हस्ताक्षर

मैबर के नाम व हस्ताक्षर

तिथि

तिथि